राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स.3(18)(1)अराज/स्था/अभि/16/ 12462-67 दिनांक 22-8-17

कार्यालय–आदेश

सहायक अभियोजन अधिकारी के वर्ष 2011 के 159 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण मे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से दिनांक 15.02.2013 को चयनित 148 अभ्यर्थियों की सूची अभियोजन विभाग को अभिस्थावित की गयी। चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ/वृहद पीठ में प्रकरण लम्बित रहने से चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं हो सकी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सीएसए0 761/2013 आदि में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2013 के विरुद्व, ओमप्रकाश आदि द्वारा प्रस्तुत एस.एल.पी. न0– 36131 व 36132/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22.07.2014 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए याचिका के अन्तिम परिणाम के अध्ययधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 148 अभ्यार्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का आदेश प्रदान किया गया।

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारी को परिविक्षाधीन प्रशिक्षु के रुप में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन एस.एल.पी. न0– 36131 व 36132/2013 के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक पर 02 वर्ष के लिये अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.स.	नाम अधिकारी	नियुक्ति आदेश दिनांक	उपस्थिति सूचना	कुल असाधारण अवकाश	परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	नियमित करने की दिनांक	वर्तमान पदस्थापन जिला
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	श्रीमती चन्द्रकला कंटारा	9369–9500/ 28.08.17	05.09.14	–	04.09.16	05.09.16	डुगरपुर
2.	श्री शमसूल आवेदिन	8907–9047/ 21.08.14	01.0914	227	16.03.17	17.03.17	भीलवाडा
3.	श्री देवेन्द्र तुनगारिया	5064–77/ 06.05.15	19.05.15	–	18.05.17	19.05.17	बून्दी

उपरोक्त नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारी जिन्होने ने 02 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, का नाम तालिका में उल्लेखित है तथा इनके द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रुप में 02 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक कालम सं. 06 में अंकित है। इनके द्वारा 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर इनके नाम के समुख कालम सं. 07 में अकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनिरिक्षित वेतन) नियम 2008 के पे बैण्ड (2) 9300–34800 ग्रेड–पे (12) 4200/– में नियमित वेतन व अन्य भत्तों के भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश के जारी दिनांक से एक माह के अन्दर सम्बन्धित द्वारा मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन किये जाने पर मकान किराया भत्ता 02 वर्ष की अवधि पूर्ण करने की तिथि से देय होगा।

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या F.I(2)FD/Rules/06/पार्ट–1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में जिन सहायक अभियोजन अधिकारयों ने एक माह से अधिक के असाधारण अवकाश उक्त अवधि में लिये है उनके परिविक्षा काल में उतनी ही अवधि की वृद्धि की जाती है।

21.8.17

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, श्रीमान् प्रमूख शासन सचिव, (गृह) राज0 सरकार।
2–संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3–संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4–सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी.................................द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला..........................
5–निजी पत्रावली।
6–रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर